



प्रेस नोट

थाना - कपूरपुर

दिनांक 13.08.2024

- थाना कपूरपुर पुलिस ने करीब एक वर्ष से फरार चल रहे 20,000/- रुपये के पुरस्कार घोषित अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्कर को किया गिरफ्तार।
- गिरफ्तार अभियुक्त थाना कपूरपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 168/23 धारा 8/20/29/37/60 एनडीपीएस एक्ट में फरार/वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 20,000/- रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।
- गिरफ्तार अभियुक्त के 03 अन्य साथियों को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है जिनके कब्जे से करीब 63 किलोग्राम अवैध गांजा व तस्करी में प्रयुक्त कार बरामद हुई थी।
- गिरफ्तार अभियुक्त अपने साथियों के साथ मिलकर आन्ध्र प्रदेश से अवैध गांजा को कार में छिपाकर लाता था और उ0प्र0 के विभिन्न जनपदों, हरियाणा व दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में सप्लाई कर आर्थिक लाभ कमाता था।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं मादक पदार्थ तस्करों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कपूरपुर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 168/23 धारा 8/20/29/37/60 एनडीपीएस एक्ट में फरार/वांछित चल रहे 20,000/- रुपये के पुरस्कार घोषित अभियुक्त को छपरौली बस अड्डे के पास जनपद बागपत से गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सत्यवीर पुत्र बीरबल उर्फ बीरपाल निवासी ग्राम टांडा थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 168/2023 धारा 8/20/29/37/60 एनडीपीएस एक्ट थाना कपूरपुर जनपद हापुड ।
2. मु0अ0सं0 87/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना कैराना जनपद शामली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री अवनीश कुमार शर्मा थाना कपूरपुर जनपद हापुड ।
2. उ0नि0 देवेन्द्र कुमार थाना कपूरपुर जनपद हापुड ।
3. उ0नि0 (यूटी) वैभव कुमार नाग थाना कपूरपुर जनपद हापुड ।
4. है0का0 155 कुलवन्त मलिक थाना कपूरपुर जनपद हापुड ।
5. है0का0 84 संजीव कुमार थाना कपूरपुर जनपद हापुड ।
6. है0का0 661 अंकित कुमार थाना कपूरपुर जनपद हापुड ।